भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5317

03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन

5317. डॉ. के. सुधाकरः

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

कैप्टन बृजेश चौटाः

श्री मलविंदर सिंह कंगः

डॉ. हेमंत विष्णु सवराः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कूड़ा फेंका जाता है और कभी-कभी यह कॉलोनियों में ढेर हो जाता है जिससे क्षेत्र प्रदूषित हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा जैव-अपघटनीय अपशिष्ट के निपटान की समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाए गए हैं अथवा अपशिष्ट/कचरे का प्रसंस्करण करके उनसे बिजली और बायोगैस का उत्पादन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या पहल की गई हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जैव-अपघटनीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) देश भर के विभिन्न शहरों में मौजूद बायोगैस संयंत्रों की संख्या कितनी है और बायोगैस संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्थापित बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने देश में जैव-ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए कोई दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है/की जाने वाली है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ड.) : ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 देश में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करते हैं। नियमों के अनुसार, जनगणना कस्बों और शहरी समूहों के स्थानीय प्राधिकरण और ग्राम पंचायतें केवल गैर-उपयोगी, गैर-पुनर्चक्रण योग्य, गैर-जैवनिम्नीकरणीय, गैर-दहनशील और गैर-प्रतिक्रियाशील निष्क्रिय अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से पूर्व-प्रसंस्करण अस्वीकृत और अवशेषों को ही सैनिटरी लैंडफिल साइटों पर जाने की अनुमति देंगी। नियम आगे यह निर्धारित करते हैं कि लैंडफिल में जाने वाले शून्य अपशिष्ट के वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अस्वीकृत अपशिष्ट को पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, सभी पुराने खुले डंपसाइट्स और मौजूदा प्रचालित डंपसाइट्स की स्थानीय प्राधिकरणों और ग्राम पंचायतों द्वारा जैव-खनन और जैव-उपचार की उनकी संभावना के लिए जांच और विश्लेषण किया जाना है और जहां भी संभव हो, साइटों पर जैव-खनन या जैव-उपचार के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

स्थानीय निकायों को उपयुक्त तकनीक का उपयोग करके ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा प्रदान करने का भी अधिदेश दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित तकनीकें शामिल हैं और समय-समय पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना शामिल है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल खरीद दस्तावेज तैयार किए गए हैं और बोली प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। पारदर्शिता और परियोजना निगरानी के लिए https://swachhurban.org पर एक सार्वजनिक डैशबोर्ड भी लाइव डेटा कैप्चर करता है। परिवहन लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी जैसे:

(i) जैव-मीथेनेशन, सूक्ष्मजीवी खाद, वर्मी-खाद, अवायवीय पाचन या जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्टों के जैव-स्थिरीकरण के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रसंस्करण; तथा

(ii) अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया जिसमें अपशिष्ट के दहनशील अंश के लिए अस्वीकृत व्युत्पन्न ईंधन शामिल है या ठोस अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्रों या सीमेंट भट्टों को फीडस्टॉक के रूप में आपूर्ति शामिल है

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-यू) 2.0 को सुरक्षित स्वच्छता प्राप्त करने, बायो-डिग्रेडेबल अपशिष्ट सहित अपशिष्ट के सभी हिस्सों का वैज्ञानिक प्रबंधन और पुराने डंपसाइटों का सुधार करने के उद्देश से 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। पुराने

डंपसाइट दशकों से बनाए गए हैं और एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। पहली बार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इन कूड़े के ढेरों को खत्म करने का काम शुरू किया गया है।

स्वच्छता पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कुल 1,61,157 टन (टीपीडी) नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। जिसमें से 1,29,708 टीपीडी का प्रसंस्करण किया जाता है, अर्थात 2014 में 16% अपशिष्ट प्रसंस्करण के मुकाबले, वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), स्थानांतरण स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) और अपशिष्ट से बिजली सहित ऊर्जा संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र आदि जैसे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करके 80.49% हो गई है, । राज्य-वार अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं वेबसाइट https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess पर उपलब्ध हैं

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए शहरी ठोस अपशिष्ट कार्य योजना (सीएसडब्ल्यूएपी) तैयार करके उसे प्रस्तुत करते हैं, ताकि निधियों का दावा किया जा सके। एसबीएम-यू 2.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के अंतर्गत, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कि सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ), खाद बनाने वाले संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) और अपशिष्ट से बिजली सहित अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, बायो-मीथेनेशन संयंत्र आदि की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की जाती है, ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त प्रकार के एसडब्ल्यूएम संयंत्रों का निर्णय ले सकें। अपशिष्ट से बिजली और बायोगैस के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता का अलग से विवरण नहीं रखा जाता है। एसबीएम-यू के एसडब्लूएम घटक के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा और अपशिष्ट से बायोगैस सहित 23549.42 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं, जिनमें 8662.28 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा है और 2020-21 से 2025-26 तक 1970.92 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सीबीजी संयंत्रों की स्थापना के लिए एसबीएम-शहरी के तहत सहायता प्रदान करता है। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार, सर्कुलर एकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन के तहत 500 नए "अपशिष्ट से धन" संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। इनमें शहरी क्षेत्रों में 75 संयंत्रों सहित 200 संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) संयंत्र शामिल होंगे।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दूसरे चरण के अंतर्गत, गोबरधन के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए 2020-21 से 2025-26 तक की पूरी कार्यक्रम अवधि के लिए प्रति जिले 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। आज तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने गोबरधन पोर्टल पर 5 घनमीटर/दिन की न्यूनतम क्षमता वाले 895 क्रियाशील सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की सूचना दी है। एसबीएम-जी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्रियाशील सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों का विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(च) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने 02.11.2022 को अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक, कृषि अपशिष्टों/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम) के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए कार्यक्रम के नए दिशानिर्देशों के तहत, बड़े बायोगैस, बायो सीएनजी और बिजली संयंत्रों (एमएसडब्ल्यू से बिजली परियोजनाओं को छोड़कर) की स्थापना के लिए परियोजनाओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बायो-मीथेनेशन परियोजनाओं के संबंध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य-वार विवरण और बायो-मीथेनेशन संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता अनुलग्नक-॥ में दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक - ।

"अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं" के विषय में दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5317 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

एसबीएम-जी के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्रियाशील सामुदायिक बायोगैस संयंत्र

क्र. सं.	राज्य का नाम	कार्यात्मक सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की संख्या
1.	असम	20
2.	बिहार	17
3.	छत्तीसगढ	281
4.	गुजरात	33
5.	हरियाणा	8
6.	हिमाचल प्रदेश	7
7.	जम्मू और कश्मीर	11
8.	झारखंड	33
9.	कर्नाटक	64
10.	केरल	24
11.	मध्य प्रदेश	115
12.	महाराष्ट्र	8
13.	पुदुचेरी	2
14.	पंजाब	20
15.	राजस्थान	14
16.	तमिलनाडु	78
17.	त्रिपुरा	16
18.	उत्तर प्रदेश	111
19.	उत्तराखंड	19
20.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	895

अनुलग्नक - II

"अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं" के विषय में दिनांक 03.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5317 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त जैव-मीथेनेशन (बायोगैस/ बायोसीएनजी /बायोगैस से बिजली) संयंत्रों को प्रदान की गई सीएफए का राज्य-वार विवरण :

राज्य	**परियोजनाओं की संख्या**	**संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यूईक्यू में)**	**सेवा शुल्क सहित कुल सीएफए (करोड़ रुपए में)**
आंध्र प्रदेश	6	1.83	4.38
गोवा	1	1.00	3.03
गुजरात	9	7.46	23.12
हरियाणा	5	4.52	16.12
कर्नाटक	3	5.35	14.02
मध्य प्रदेश	2	4.85	11.04
महाराष्ट्र	7	9.58	15.77
तमिलनाडु	3	5.92	17.54d
तेलंगाना	5	4.58	7.72
उत्तर प्रदेश	8	8.63	33.40
उत्तराखंड	1	0.09	0.20
कुल	**50**	**53.80**	**146.34**